आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या :74/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

मदन लाल जांगिड पुत्र श्री सीताराम जांगिड निवासी 164, इन्द्रा कालोनी, चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थी ऋणी

बनाम

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि॰ कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर।

अप्रार्थी बैंक

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 242/2020 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि॰ बनाम मदन लाल जांगिड में पारित आदेश दिनांक 04.01.2021 को रिव्यू करने बाबत।

उपस्थित–

श्री कुमार गौरव सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

आदेश दिनांक 16.02.2021.

1. संक्षेप में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायलय के प्रकरण संख्या 242/2020 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि॰ बनाम मदन लाल जांगिड में पारित आदेश दिनांक 04.01.2021 को रिव्यू करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मूल मिसल शामिल की गई।
3. बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता की सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आदेश हाल ही में अप्रार्थी बैंक द्वारा वाट्सअप पर प्रार्थी को भेजा गया है, जिससे प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी प्रथम बार हुई। जिस पर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी पूर्व में नहीं होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण में श्रीमान के समक्ष उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सका। उक्त परिस्थिति में आदेश दिनांक 04.01.2021 को रिकाल किया जाकर प्रार्थी को उक्त प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर दियां जाना न्यायानुकूल एवं आवश्यक है। अप्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 सरफेशी एक्ट में तथाकथित प्रेषित धारा 13 (2) का नोटिस प्रार्थी को प्राप्त नहीं होने के कारण प्रार्थी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहा है और ना ही उक्त नोटिस की ओई आपत्ति या जवाब ही प्रस्तुत कर सका है। प्रार्थी को उसके ऋण खाते के एन पी ए किये जाने की भी जानकारी अप्रार्थी द्वारा नहीं दी गई है। प्रार्थी द्वारा लगभग 15,00,000/–रूपये से अधिक का पुनर्भुगतान

जिला कलक्टर
जयपुर

किया जा चुका है उसके उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश प्राप्त कर लिया गया है। अप्रार्थी बैंक द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा किस मद मे व किस प्रकार से राशि प्रार्थी पर बकाया निकाली जा रही है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों पर व अविधिक रूप से प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिस कारण आदेश दिनांक 04.01.2021 को रिकाल किया जाना न्यायोचित है। अतः अप्रार्थी बैंक द्वारा तथ्यों को छिपा कर प्राप्त किये गये आदेश दिनांक 04.01.2021 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी के सुयोगय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलोभांति अवलोकन किया गया।

6. अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण खाता एन पी ए हो जाने के पश्चात प्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.01.2020 को धारा 13 (2) का नोटिस दिया गया है। धारा 13 (2) के नोटिस की तामील की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की ट्रेकिंग रिपोर्ट एवं दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दा इण्डियन एक्सप्रेस एवं पंजाब केशरी में दिनांक 29.02.2020 की नोटिस प्रकाशित कराया गया है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 13 (2) का नोटिस जारी होने एवं तामील होने के बाद 60 दिवस में भी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नही कराने पर अप्रार्थी वित्तीय संस्थान ने दिनांक 02.09.2020 को धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यायहित में प्रार्थी ऋणी को इस न्यायालय द्वारा भी सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थी के कथन को वल नहीं मिलता है। प्रार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को रिव्यू प्रार्थना पत्र में तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण को है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोही करने के लिए स्वतंत्र है। सरफेशी एक्ट में रिव्यू का कोई विधिक प्रावधान नही है। इसलिए उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2021 में किसी प्रकार के पुनर्विचार व हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन–रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. आदेश आज दिनांक 16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर
जयपुर